SCHOOL OF SOCIAL SCIENCE

CERTIFICATE

I hereby declare that the short synopsis "पंचायती राज व्यवस्था में अन्य पिछड़े वर्ग (ओबीसी) की महिलाओं की स्थिति का मूल्यांकन : आजमगढ़ जनपद के विशेष सन्दर्भ में" (PANCHAYATIRAJ VYAVASTHA MEIN ANYA PICHDE VARG KI MAHILAON KI STHITI KA MULYANKAN: AZAMGARH JANPAD KE VISHESH SANDARBH MEIN") being submitted in partial fulfillment of the requirement for the degree of Doctor of Philosophy in Political Science under school of Social Sciences of U.P. Rajarshi Tandon Open University, Prayagraj during the academic year 2023.

It is a bonafide record of original work carried out under the supervision of Dr. Ananda Nand Tripathi and has not been submitted in full or part to any other university or institute for a degree or diploma. Further, it is certified that the short synopsis is plagiarism-free and the repot has been submitted.

Uday Pratap Singh
En. No.: 2200604

Research Supervisor

Dr. Ananda Nand Tripathi
Faculty of Political Science

Pro. Santosha Kumar
Director, School of Social Sciences

Pro. P. K. Pandey
Director, R&D Cell

"पंचायती राज व्यवस्था में अन्य पिछड़े वर्ग (ओबीसी) की महिलाओं की स्थिति का मूल्यांकन : आजमगढ़ जनपद के विशेष सन्दर्भ में"

"Panchayatiraj Vyavastha Mein Anya Pichde Varg Ki Mahilaon Ki Sthiti Ka Mulyankan : Azamgarh Janpad Ke Vishesh Sandarbh Mein"

SHORT SYNOPSIS

Submitted in partial fulfillment of the requirement of the degree of

DOCTOR OF PHILOSOPHY IN POLITICAL SCIENCE

to

U.P. Rajarshi Tandon Open University, Prayagraj

by

UDAY PRATAP SINGH

En 2200604

Under the Supervision of

Dr. ANANDA NAND TRIPATHI

Faculty of POLITICAL SCIENCE

School of Social Science

U.P. RAJARSHI TANDON OPEN UNIVERSITY

Shantipurm, (Sector –F) Phaphamau, Prayagraj – 211021

सारांश (Abstract):

पंचायती राज व्यवस्था भारत में लोकतंत्र की जडों को मजबूत करने का एक प्रभावी माध्यम है, जिसके माध्यम से समाज के वंचित वर्गों को राजनीतिक भागीदारी का अवसर प्राप्त हुआ है। 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत महिलाओं के लिए आरक्षण ने ग्रामीण नेतृत्व में उनकी भागीदारी को सुनिश्चित किया, लेकिन अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) की महिलाओं को आज भी कई सामाजिक, सांस्कृतिक और पारिवारिक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। यह शोध विशेष रूप से आजमगढ जनपद के संदर्भ में OBC वर्ग की महिलाओं की पंचायती राज में वास्तविक भूमिका, निर्णय–निर्माण की क्षमता, नेतृत्व कौशल और सामाजिक स्वीकृति का मूल्यांकन करता है। अध्ययन केस स्टडी, साक्षात्कार एवं प्रेक्षण विधियों पर आधारित होगा, जिससे यह समझा जा सके कि क्या ये महिलाएँ सशक्त प्रतिनिधि हैं या केवल सांकेतिक उपस्थिति तक सीमित हैं। यह शोध भविष्य में नीति–निर्माण तथा महिला सशक्तिकरण की दिशा में उपयोगी सिद्ध हो सकता है।

Keywords : पंचायती राज व्यवस्था, अन्य पिछड़ा वर्ग, महिला नेतृत्व, ग्रामीण सशक्तिकरण, आरक्षण, आजमगढ़ सामाजिक बाधाएँ

CONTENTS

S. No	Description	Page No.
1	Introduction	
2	Literature Review	
3	Description Broad Area	
4	Objectives of the Study	
5	Research Methodology	
6	Expected Outcome of the Research	
	References	
	Plagiarism Report	

पंचायतीराज व्यवस्था में अन्य पिछड़े वर्ग (OBC) की महिलाओं की स्थिति का मूल्यांकन : आजमगढ़ जनपद के विशेष संदर्भ में

1. प्रस्तावना –

भारत गाँवों का देश है। भारत में पंचायतों का प्रचलन प्राचीन काल से चला आ रहा है। भारत में पंचायतें जनकल्याण की भावना तथा विकास के साथ न्याय का काम भी करती थी।

पंचायत जिन्हे ग्रामीण स्थानीय प्रशासन की सबसे लोकप्रिय एवं निचली इकाई माना जाता है। यह अत्यन्त प्राचीन संस्था होने पर भी अपने आप में स्थानीय स्वशासन की समर्थ एवं सबल इकाईयाँ मानी जाती है। प्राचीन काल से ही पंचायतीराज व्यवस्था के कारण प्रत्येक ग्रामीण समाज अपने को एक छोटा सा राज्य मानता था तथा भारत की जनता को एकता के सूत्र में अच्छी तरह बांधने का कार्य पंचायतों ने प्राचीन काल से ही कुशलतापूर्वक किया है।

'पंचायत' शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के शब्द 'पंचायतन' से हुई है, जिसका अर्थ होता है पाँच व्यक्तियों का समूह। महात्मा गाँधी ने 'पंचायत' का शाब्दिक अर्थ "गाँव के लोगों द्वारा चुने गये पाँच व्यक्तियों की सभा से लिया है।" पंचायत एक परम्परा है, जो विस्तृत एवं व्यापक है तथा ग्रामीण जीवन को बेहतर बनाने का एक अत्यंत उपयोगी एवं महत्वपूर्ण प्रयास है। पंचायत कर उनकी सहभागिता से ग्रामीण समाज का प्रशासन करने का माध्यम है। जनता को शक्ति एवं अधिकार प्रदान करने का स्रोत है।

महात्मा गाँधी ने लोकतंत्रात्मक शासन की नींव के रूप में पंचायतों को स्वीकार किया है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र का आरम्भ निचले स्तर से होना चाहिए, गाँव या पंचायते अधिकारों से युक्त हो इसलिए हर गाँव को आत्मनिर्भर होना चाहिए और उन्हे अपनी समस्याओं एवं चुनौतियों का का प्रबंध करने में सक्षम होना चाहिए, क्योंकि सच्चे लोकतंत्र का क्रियान्वयन सत्ता के शीर्ष पर बैठे कुछ व्यक्ति नहीं कर सकते। इसे प्रत्येक गाँव में निचले स्तर पर लोगों द्वारा किया जा सकता है। पंचायतों को जितना ज्यादा

अधिकार होगा, लोगों के लिए यह उतना ही बेहतर होगा। पंचायतों को प्रभावी और सक्षम बनाने के लिए लोगों को अधिक से अधिक शिक्षित करना होगा।

पं0 नेहरू ने पंचायतों के बारे में कहा कि "पंचायते प्रजातंत्र की प्राथमिक पाठशाला है, इसमें ग्रामीण–जन प्रजातंत्र की शिक्षा ग्रहण करते हैं, उनमें उत्तरदायित्व व स्वावलम्बन की भावना जागृत होती है।

भारत में पंचायतों की परम्परा बहुत प्राचीन है। इतिहासकारों व विद्वानों ने प्राचीन काल की पंचायतों को 'ग्राम गणराज्य' की संज्ञा दी है, क्योंकि पंचायते ग्राम की विधानपालिका , कार्यपालिका तथा न्यायपालिका थी, जो अपने शासन का प्रबंध स्वयं करती थी।

अतः पंचायतों का समय के अनुसार धीरे–धीरे विकास होता गया। पंचायतों के विकास के निम्न चरण है–

1- प्राचीन काल

2- मध्यकाल

3- आधुनिक काल

प्राचीन काल में पंचायतें –

भारत में ग्रामीण स्वायत शासन व्यवस्था उतनी ही प्राचीन है, जितना कि प्राचीन काल में वर्ण व्यवस्था थी। भारतीय समाज चार वर्णो में विभाजित था तथा सबके अलग–अलग कार्य थे वे आपसी सहयोग द्वारा कार्य करते थे। किन्तु धीरे–धीरे लोगों में होड की भावना पनपने लगी आपसी मतभेद होने लगे, प्ररिवार के बड़े बुर्जुग एक दूसरे से मिलकर आपसी समझौतों द्वारा उन विवादों का निपटारा करते थे। संभवतः पंचायतों की अवधारणा का यह प्रथम चरण रहा होगा।

वैदिककाल में भी ग्रामसभा व ग्राम पंचायतों का गठन हो चुका था। वैदिककाल व उत्तर वैदिककाल में प्रत्येक ग्राम एक छोटा सा स्वायत्त राज्य था तथा छोटे–छोटे गाँव व छोटे प्रादेशिक संघ मिलकर बडे संघ बन जाते थे और इसका संगठन वास्तव में मजबूर होता था। जिसका उपयोग पूर्वज मनुष्य जीवन के स्तर को ऊँचा उठाने तथा सुखमय बनाने के लिए किया करते थे। अतः वैदिककाल में भी पंचायतों का अत्यधिक महत्व रहा है।

मनुस्मृति में भी पंचायतों के बारे में वर्णन किया गया है। गाँव के अधिकारी को 'ग्रामिक' कहते थे, उसका कार्य कर आदि की वसूली करना था। दस गाँव के ऊपर एक और कर्मचारी होता था, जिसे 'दशिक' के नाम से जाना जाता था। बीस गाँव के ऊपर के कर्मचारी को 'विशाधिप' कहते थे। सौ गाँव के ऊपर के कर्मचारी को 'शतपाल' कहते थे। एक हजार गाँवों के ऊपर के कर्मचारी को 'सहस्रपति' कहते थे। इसके अलावा जातक कथाओं में भी पंचायतों का वर्णन मिलता है।

कौटिल्य काल में भी पंचायत का स्वरूप दृष्टिगत होता है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में ग्रामसभा व पंचायतों का विस्तृत विवरण दिया गया है। इस काल में भी पंचायत पद्वति के द्वारा स्थानीय स्वायत शासन संचालित था। अतः कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में लिखा है कि गाँवों के विवादों –झगडे का निपटारा ग्रामसभाओं द्वारा किया जाता था तथा गाँव की आंतरिक सुरक्षा की जिम्मेदारी ग्रामसभाओं की होती थी।

मध्य काल–

भारत में समय–समय पर अनेक विदेशी आक्रमण होते रहे, किन्तु सिंधु पर मुहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के साथ भारत के इतिहास में एक नये युग का सूत्रपात हुआ, जिसे मध्यकाल के रूप में जाना गया। मुस्लिम शासकों ने पंचायती संगठनों में पंचायतों के क्षेत्र तथा अधिकार आदि में कोई बृद्धि नहीं की और न उन्हे कम करने का प्रयास किया, बल्कि शासकों ने अपने हितों में पंचायतों का काफी उपयोग

किया। अतः देश की पंचायत प्रणाली पूर्ववत चलती रही। इस काल में भी पंचायत व्यवस्था बनी रही तथा ग्रामीण व्यवस्था बनाये रखने का समस्त कार्य ग्राम सम्बन्धी सारा कार्य पंचायतें ही करती थी और शासन उनके महत्व को पूर्णतः स्वीकार भी करता था।

अंग्रेज आरम्भ से ही भारतीयों को कोई शक्ति व उत्तरदायित्व देने के पक्ष में नहीं थे। वे मानते थे कि भारतीय प्रजातात्रिक संस्थायें चलाने में अयोग्य हैं। ब्रिटिश शासन में ग्राम समुदाय की ग्रामीण अर्थव्यवस्था तथा प्रशासनिक कार्यों पर पकड़ कम होती गई। अतः पराम्परागत स्थानीय स्वशासन के जो कुछ अवशेष मुगलकाल में बचे थे, वे भी ब्रिटिश काल में समाप्त हो गये। ब्रिटिश काल में ही कुछ समय बाद पंयाचतों का का नया रूप उभरकर आया जिसे पंचायतों का पुर्नउदय कहा जा सकता है और आधुनिक पंचायती व्यवस्था का आरम्भ भी।

आधुनिक काल में पंचायतें –

18 मई, 1882 को भारतीय ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में स्थानीय स्वायत्त शासन से सम्बन्धित 'लार्ड रिपन' का महत्वपूर्ण प्रस्ताव पेश किया गया,. जो बहुत वर्षों से लुप्तप्राय हो गया था। 1919 में ब्रिटिश संसद ने भारत सरकार अधिनियम 1919 पारित किया जिसे मॉटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। इस अधिनियम में पंचायतें प्रांतीय सरकारों को हस्तांतरित करने की बात कही गयी थी। इसके बाद 1925 तक आठ प्रांतों में पंचायत अधिनियम पारित हो चुके थे। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने पंचायतों को प्रांतीय विधायी सूची में सम्मिलित कर दिया। 1937 में जब सभी प्रांतों में सरकारें बनी तो सभी पंचायतों ने पंचायत जनप्रतिनिधित्व की संस्थायें बनाई, लेकिन 1939 में द्वितीय विश्वयुद्ध छिड, जाने से उस प्रक्रिया में पुनः अवरोध आ गया।

प्रथम विश्वयुद्ध छिड़ने के साथ ही 1915 में द0 अफ्रीका से लौटने के बाद महात्मा गाँधी का पर्दापण भारतीय राजनीति में हुआ, जिससे राजनीतिक संरचना में कांतिकारी परिवर्तन आया। 1916 में उन्होने देश के प्रत्येक नागरिक को 'स्वराज' का सहभागी

बनाने एवं प्रत्येक ग्राम को स्वावलम्बी बनाने के लिए पंचायत के पुर्नजीवन का संकल्प लिया। गाँधी जी के अनुसार " ग्राम स्वराज की मेरी कल्पना यह है कि वह एक ऐसा पूर्ण प्रजातंत्र होगा जो अपनी अहम जरूरतों के लिए अपने पड़ोसियों पर निर्भर नहीं रहेगा और फिर भी बहुत सी दूसरी जरूरतों के लिये जिनमें दूसरों का सहयोग अनिवार्य होगा, वह परस्पर सहयोग से काम लेगा"।

समाज में महिलाओं की अहम भूमिका को स्वीकार करते हुए "स्वामी विवेकानंद जी" ने कहा था " जब तक महिलाओं की स्थिति में सुधार नहीं होगा तब तक विश्व का कल्याण नहीं होगा। किसी भी पक्षी का एक पंख से उड़ना संभव नहीं है।" इस सम्बन्ध में "गाँधी जी" ने भी कहा था कि "आजादी और प्रजातंत्र तब तक अधूरे हैं, जब तक समाज के पिछडें वर्गो को भी समृद्ध तबके जैसे अधिकार नहीं मिल पाते ।" 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। इस अधिनियम के तहत भारत को संविधान में एक नया खण्ड –IX जोड़ा गया । इस अधिनियम के तहत ही संविधान में एक नई अनुसूची ,11वीं सूची भी जोडी गयी है। संविधान के भाग IX में अनुच्छेद 243–D में महिलाओं, अनुसूचित जाति एवं जनजाति को आरक्षण का प्रावधान किया गया है। यह आरक्षण 33% है। कुछ राज्यों में महिलाओं के लिए पंचायतों में 50% आरक्षण का प्रावधान है। यह राज्य है– मध्य प्रदेश, बिहार उत्तराखण्ड इत्यादि।

73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा पंचायती राज की त्रिस्तरीय संरचना को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। इसी के अनुसरण में उत्तर प्रदेश पंचायत विधि संशोधन विधेयक 1994 पारित किया गया है। इसके अंतर्गत तीनों स्तर पर पंचायती राज्य व्यवस्था में महिलाओं के लिए आरक्षण के प्रावधान के अनुसार एक तिहाई सीट महिलाओं के लिए आरक्षित की गयी है। आज महिलाओं को 33% आरक्षण मिल रहा है।

महिलाओं की राजनीतिक सहभागिता को वैधानिक श्रेय 73वां संविधान संशोधन अधिनियम को जाता है। देश के राजनीति इतिहास में पहली बार पंचायत व्यवस्था के प्रत्येक स्तर पर हर वर्ग की महिलाओं के लिए 33% स्थान आरक्षित किये गये हैं। यही नहीं महिलाओं के लिए आरक्षण पंचायत के पदाधिकारियों के पदों पर भी लागू हुआ जिसके परिणाम स्वरूप सम्पूर्ण देश की पंचायती राज व्यवस्था के विभिन्न पदों जैसे प्रधान, ब्लाक प्रमुख, जिला पंचायत अध्यक्ष इत्यादि पर महिलायें पदासीन हुई है।

2. साहित्य समीक्षा –

शोध से पूर्व विषय का चुनाव करना बहुत ही मुश्किल होता है। विषय चुनने के लिए पहले हम जिस विषय का चयन कर रहे उसके बारे में हुई शोध और किताबों की समीक्षा करते हैं। जो निम्नवत है–

कु0 कविता श्रीवास्तव (2002) में यह तथ्य प्रतिपादित किया कि ग्रामसभाओं को सशक्त बनाने की आवश्यकता है। जिससे कि महिलाओं की भूमिका का महत्व बढ़ जाये। लेकिन इन्होंने अपने शोध में पिछड़े वर्ग की महिलाओं की भूमिका का अध्ययन नहीं किया है। जिससे अध्ययन होने से अभी भूमिका का पता चल चुके।

संजय कुमार परासर (2001) ने अपने शोध प्रबंध " **राजनीतिक आरक्षण व सत्ता में भागीदारी**" विषय पर शोध किया है। निष्कर्ष निकाला कि महिलाओं की भूमिका आरक्षण के बाद सुनिश्चित हो पायी लेकिन इन्होने अपने निष्कर्ष में यह नहीं बताया कि अन्य पिछडे वर्ग की महिलाओं की क्या स्थिति है।

अरूण श्रीवास्तव (1995) ने अपने शोध प्रबंध " **भारत में पंचायती राज**" में पंचायती राज संस्थाओं में राजनीतिक सहभागिता एवं आर्थिक सामाजिक परिवर्तन का विश्लेषण किया गया है।

डा0 भुवनेश गुप्ता ने अपनी पुस्तक **''पंचायती राज रिफार्म इन इण्डिया''** (2012) में पंचायती राज संस्थाओं मे 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के लागू होने के बाद से वर्तमान स्थिति का मूल्यांकन।

एस.आर.महेश्वरी की पुस्तक **'' भारत में स्थानीय प्रशासन''** **संशोधित संस्करण 2005** में लेखक ने स्थानीय प्रशासन से सम्बन्धित बहुत से पक्षों को उजागर किया है। लेखक ने ग्रामीण विकास में जनसहभागिता बल देते हुए लिखा है कि ग्रामीण विकास स्थानीय प्रशासन की महत्वपूर्ण आवश्यकता है। इन्होने महिलाओं की भूमिका पर कोई विचार नही दिया।

डा0 नवीन चंद्र सिंहा (1997) की पुस्तक **''पंचायतीराज का इतिहास''** में लेखक ने वैदिक काल से वर्तमान समय तक की पंचायती राज व्यवस्था के इतिहास को वर्णित किया है। लेकिन पिछडे वर्ग की महिलाओं की भूमिका का वर्णन नही किया है।

गुरुमूर्ति (1995) में अपने शोध प्रबंध **'राजनीतिक आरक्षण व सत्ता में भागीदारी''** विषय पर विस्तार से अध्ययन किया है। उन्होने निष्कर्ष के रूप में लिखा है कि समाज के कमजोर वर्गों विशेषकर अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति की राजनीतिक भागीदारी पर आकलन एवं मूल्यांकन प्रस्तुत किया है। लेकिन पिछड़े वर्ग की महिलाओं पर कुछ नहीं बताया गया है। अर्थात इन्होने महिलाओं की भूमिका पर कोई वर्णन नहीं किया है।

डा0 एन0 आर0 राव की पुस्तक **''पंचायती राज ए स्टडी ऑफ रूरल लोकल गवर्नमेंट इन इण्डिया''1994** में लेखक ने पंचायती राज संस्थाओं का अध्ययन सामाजिक एवं आर्थिक आधार पर करते हुए यह निष्कर्ष निकाला कि स्थानीय सरकार संवैधानिक राज स्वायतशासी संस्थाओं के संचालन को किस प्रकार से प्रभावित करती है और आर्थिक दृष्टि से ग्रामीण प्रशासन पर क्या प्रभाव पड़ता है।

डा0 घोश बंधोपाध्याय (2003) के अनुसार ''**लार्ड रिपन से लेकर राजीव गांधी**' तक एक दूसरे पर प्रभाव रखने एवं नियंत्रित रखने की प्रवृत्ति अनवरत से चली आ रही है। इस प्रवृत्ति ने ही पंचायतों को उसकी स्वायत्तता से दूर रखा जो कि 73वं संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायतों को दिया गया। जन चेतना, जागरूकता के अभाव में पंचायतों के माध्यम से प्रभावशाली जातियों और भी मजबूत हो गयी लेकिन वहीं महिलाएं तथा अनुसूचित जातियाँ उपेक्षित होती रही है।

जार्ज मेथ्यू (2000) ने अपने शोध का निष्कर्ष निकाला कि राज्य स्तरीय नेतृत्व स्थानीय नेतृत्व के उपत्ति में रुचि नहीं ले रहा था। विधायक एवं सांसद केंद्रीय सरकार की योजना के अंतर्गत पंचायतों को दिये गये धन पर अपना नियंत्रण चाहते थे। अतः सांसदों एवं विधायकों की मनोवृत्ति को बदलने की आवश्यकता है।

महिपाल (2004) ने अपने शोध ने यह निष्कर्ष निकाला है कि ग्रामसभाओं को छोटा एवं शक्ति सम्पन्न बनाने की आवश्यकता है। बैठक की तिथि तय करने का अधिकार ग्राम सभा को होना चाहिए। प्रतिनिधियों की सुलभता को ध्यान में रखते बैठक की तिथि का निर्धारण होना चाहिए। पंचायत की मीटिंग पंचायत कार्यालय या सार्वजनिक स्थानों पर होना चाहिए। किसी के व्यक्तिगत हितों की जगह सभी के हितों का ध्यान रखते हुए कार्यों का निर्धारण होना चाहिए।

वर्तमान समय मे देश में व्यापक बदलाव हुआ है, जिससे न केवल राष्ट्रीय परिदृश्य बदला है, बल्कि पंचायती राज संस्थाओं में भी बदलाव हुआ है।इस बदलाव के कारण पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं की भूमिका में बदलाव हुआ है, जिसका नवीन संदर्भ में अध्ययन करना आवश्यक प्रतीत हो रहा है।

3. विस्तृत वर्णनात्मक क्षेत्र :

भारतीय लोकतंत्र की आधारशिला ग्रामीण स्तर की शासन व्यवस्था है, जिसे पंचायती राज व्यवस्था के रूप में जाना जाता है। यह व्यवस्था स्थानीय विकास, जन भागीदारी

और सामाजिक न्याय को सशक्त बनाने का माध्यम है। संविधान के 73वें संशोधन अधिनियम (1992) द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया और इसके तहत महिलाओं तथा पिछड़े वर्गों को आरक्षण देकर उन्हें राजनीतिक मुख्यधारा में लाने का प्रयास किया गया।

विशेष रूप से अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) की महिलाओं को पंचायती राज व्यवस्था में आरक्षण मिलने के बाद उनके राजनीतिक सशक्तिकरण की प्रक्रिया आरम्भ हुई, लेकिन यह मात्र प्रतिनिधित्व तक सीमित न रहकर सामाजिक, शैक्षिक, आर्थिक और सांस्कृतिक बाधाओं से भी जुडा हुआ है। यह वर्ग परंपरागत रूप से दोहरी उपेक्षा का शिकार रहा है– एक ओर जातीय संरचना में उनका निम्न स्थान दूसरी ओर महिला होने के कारण पितृसत्तात्मक व्यवस्था में उन्हें विशेष चुनौतियों का सामना करना पड़ा।

इस शोध में उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जनपद को विशेष अध्ययन क्षेत्र के रूप में चयनित किया गया है, जो पूर्वांचल क्षेत्र का सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण जनपद है। वहां की आबादी में ओबीसी समुदाय की बड़ी भागीदारी है और पंचायती राज में उनकी महिलाओं की सहभागिता भी बढ़ी है, फिर भी यह सहभागिता कितनी प्रभावी है, यह अध्ययन का विषय है।

इस अध्ययन के अंतर्गत यह मूल्यांकन किया जाएगा कि ओबीसी वर्ग की महिलाएं पंचायतों में क्या वास्तविक रूप से निर्णय–निर्माण प्रक्रिया में भागीदारी निभा रही हैं या वे केवल 'प्रॉक्सी प्रतिनिधि' के रूप में सीमित हैं। साथ ही, उनके राजनीतिक, शैक्षिक और आर्थिक सशक्तिकरण की वर्तमान स्थिति, चुनौतियाँ, अवसर, सामाजिक स्वीकार्यता और प्रशासनिक सहयोग का स्तर भी मूल्यांकन का हिस्सा होगा।

यह विषय केवल राजनीतिक प्रतिनिधित्व तक सीमित न रहकर एक व्यापाक सामाजिक विमर्श का हिस्सा है, जो जेंडर समानता, सामाजिक न्याय और स्थानीय शासन के लोकतांत्रिक आदर्शों से जुडा हुआ है।

4. शोध अध्ययन का उद्धेश्य –

- पंचायती राज व्यवस्था में अन्य पिछड़े वर्ग की महिलाओं की स्थिति (आजमगढ़ जनपद के विशेष संदर्भ में) की तथ्यात्मक स्थिति का पता लगाना।
- 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के बाद हुए परिणामों का मूल्यांकन करना।
- उन कारकों की पहचान करना जो कि पिछड़े वर्ग की महिलाओं की भूमिका को बाधित करते हैं।
- पंचायतों में पिछड़े वर्ग की महिलाओं की भूमिका में आने वाली समस्याओं को रेखाकिंत करते हुए उनके निस्तारण हेतु सकारात्मक सुझाव प्रस्तुत करना।

5. शोध प्रविधि –

प्रस्तुत शोध अध्ययन का विषय "पंचायती राज व्यवस्था में अन्य पिछडे वर्ग की महिला की भूमिका" आजमगढ जनपद के संदर्भ में है। इस शोध अध्ययन में हम ऐतिहासिक, विश्लेषणात्मक पद्धति का प्रयोग करेंगें। इस शोध अध्ययन में हम प्राथमिक स्रोत के साथ–साथ द्वितीयक स्रोत का भी प्रयोग करेंगे।

6. संभावित निष्कर्ष (Expected Outcomes)

आजमगढ़ जनपद में पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत अन्य पिछड़े वर्ग की महिलाओं को आरक्षण के माध्यम से राजनीतिक भागीदारी का अवसर मिला है, लेकिन यह भागीदारी अब भी पूर्ण रूप से प्रभावी नहीं हो पाई है। कई स्थानों पर महिलाऐं केवल नाम मात्र की प्रतिनिधि हैं, जबकि वास्तविक निर्णय परिवार के पुरूष सदस्य लेते हैं। शिक्षा की कमी, सामाजिक दबाव और प्रशासनिक जानकारी का अभाव उनकी सक्रियता को सीमित करती है।

फिर भी, कुछ महिलाऐं प्रशिक्षण और समर्थन के माध्यम से नेतृत्वकारी भूमिका निभा रही हैं, जो ग्रामीण समाज में सकारात्मक परिवर्तन की दिशा में संकेत देता है।

यदि उन्हें निरंतर प्रोत्साहन, प्रशिक्षण और सहयोग मिले, तो वे सशक्त स्थानीय नेतृत्व विकसित कर सकती है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1- 'गुप्त' त्रिवेणी प्रसाद, पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास , किरण बुक कम्पनी इलाहाबाद 1997

2- 'महीपाल' पंचायती राज – अतीत, वर्तमान और भविष्य, सारांश प्रकाशन प्रा0लि0 नई दिल्ली,

3- 'पॅवार' मीनाक्षी' पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास क्लासिकल पब्लिकेशन कम्पनी दिल्ली 1996, पृष्ट–19–20

4- 'हिन्दी विश्वकोष' खण्ड–7 नागरी प्रचारिणी सभा वाराणसी 1996

5- 'सिंह ' डा0 राजेन्द्र प्रसाद– ग्रामीण स्थानीय स्वशासन : पंचायती राज, भारतीय भवन पब्लिशर्स पटना – 1997

6- चौधरी, रमेश कुमार, पंचायतीराज में महिलाओं की अहम भूमिका लोक प्रशासन (नई दिल्ली : भारतीय लोक प्रशासन) 2009

7- कुमार, ललित, पंचायती राज्य एवं वंचित महिला समूह का उभरता नेतृत्व, नई दिल्ली : क्लासिकल पब्लिकेशन कम्पनी, 2004।

8- गुरूमर्ति , पू0 – पंचायती राज एवं वीकर सेक्शन, आशीष पब्लिकेशन नई दिल्ली–1987

9- बसु ,डी डी, 'भारतीय संविधान' लक्ष्मी नारायण अग्रवाल आगरा 1995

10- वाजपेयी, अशोक, ''पंचायती राज इन इण्डिया ए न्यू थ्रस्ट'' कनिष्का पब्लिकर्ष नई दिल्ली –1995

11- राजेश्वर, दयाल, ''पंचायती राज इन इण्डिया'' मेट्रोपोलियन नई दिल्ली 1970

12- जोशी, आर.पी ''पंचायती राज एवं अनुसूचित जाति महिला नेतृत्व' रावत पब्लिकेशन जयपुर, 2000

13- पीयूष, जगदीश , "पंचायती राज संकल्प व सम्भावनाएँ" सुल्तानपुर लोक भारती लखनऊ–1994

14- राय, वी. सी' "भारत में पंचायती राज का इतिहास", ग्राम विकास प्रशासन लखनऊ, 1997

15- जोशी, आर, पी, रूपा मंगलानी, भारत में पंचायती राज" हिंदी ग्रंथ अकादमी जयपुर 2003

16- अग्रवाल, प्रमोद कुमार, "भारत में पंचायती राज" ज्ञान गंगा नई दिल्ली

17- शर्मा , के. के. "भारत में पंचायती राज " कालेज बुक डिपो जयपुर –2001

18- मिश्रा, पी.वी. "उत्तर प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था' भारत बुक सेंटर –लखनऊ 2007

19- यू0पी0 विलेज पंचायत एक्ट 1920

20- शर्मा आर. ए. "शिक्षा अनुसंधान के मूल तत्व एवं शोध प्रक्रिया" आर लाल बुक डिपो मेरठ–2011

21- झा. उमा शंकर , स्टेटस आफ इंण्डियन वूमन" कनिष्क पब्लिकेशन नई दिल्ली, 2006 I

22- गैरोला, रामानंद , "महिला सशक्तिकरण एवं विधिक व्यवस्थाएँ" भारतीय राजनीति विज्ञान शोध पत्रिका – 2009

23- सिंह. जे. एल. "महिला एवं पंचायती राज" सनराइज पब्लिकेशन नई दिल्ली –2005

24- अवस्थी एवं माहेश्वरी, "लोक प्रशासन" लक्ष्मी नारायण अग्रवाल आगरा, 2004

25- सईद, एस. एम. "भारतीय राजनीतिक व्यवस्था" भारत बुक सेंटर लखनऊ 2019

26- अवस्थी एवं अवस्थी , "भारतीय प्रशासन" लक्ष्मी नारायण अग्रवाल आगरा, 2004

27- लक्ष्मीकांत. एम , "भारत की राजव्यवस्था" मैग्रा हिल पब्लिकेशन चेन्नई 2009

28- सिंह, बागेश्वर – ''भारत में स्थानीय स्वशासन'' राधा पब्लिकेशन नई दिल्ली –2004

29- दर्शकर – ''लीडर शिप इन पंचायती राज'', पंचशील प्रकाशन जयपुर – 1976

30- कृष्ण एम. जी, ''पंचायती राज इन इण्डिया'' मित्तल पब्लिकेशन नई दिल्ली 1962

31- महेश्वरी, एस. आर. ''भारत में स्थानीय प्रशासन'' लक्ष्मीनारायण अग्रवाल आगरा – 1999

32- मिश्रा एस. एन – ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज'' दीपक पब्लिकेशन इंदौर – 1980

DrillBit

The Report is Generated by DrillBit Plagiarism Detection Software

Submission Information

Author Name	Uday Pratap Singh
Title	PANCHAYATIRAJ VYAVASTHA MEIN ANYA PICHDE VARG KI MAHILAON KI STHITI KA MULYANKAN: AZAMGARH JANPAD KE VISHESH SANDARBH MEIN
Paper/Submission ID	3613004
Submitted by	santoshauprtou@gmail.com
Submission Date	2025-05-14 15:45:20
Total Pages, Total Words	18, 3564
Document type	Synopsis

Result Information

Similarity **6 %**

Sources Type

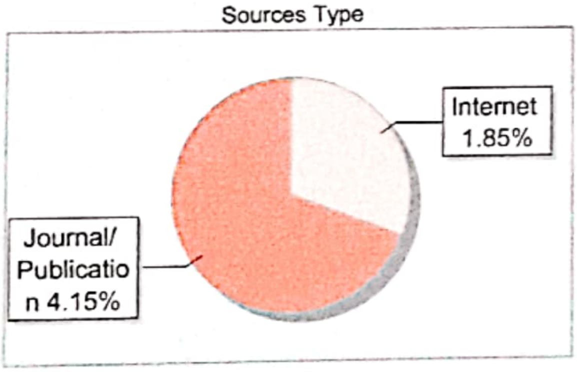

Report Content

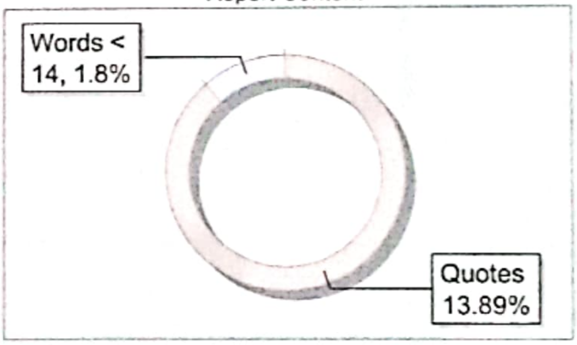

Exclude Information

Quotes	Not Excluded
References/Bibliography	Not Excluded
Source: Excluded < 14 Words	Not Excluded
Excluded Source	0 %
Excluded Phrases	Not Excluded

Database Selection

Language	Non-English
Student Papers	Yes
Journals & publishers	Yes
Internet or Web	Yes
Institution Repository	Yes

A Unique QR Code use to View/Download/Share Pdf File

DrillBit

DrillBit Similarity Report

6	10	A	A-Satisfactory (0-10%) B-Upgrade (11-40%) C-Poor (41-60%) D-Unacceptable (61-100%)
SIMILARITY %	MATCHED SOURCES	GRADE	

LOCATION	MATCHED DOMAIN	%	SOURCE TYPE
1	Thesis Submitted to Shodhganga, shodhganga.inflibnet.ac.in	2	Publication
2	Thesis Submitted to Shodhganga Repository	1	Publication
3	www.slideshare.net	1	Internet Data
4	uprtouexam.in	1	Internet Data
5	egyankosh.ac.in	<1	Publication
6	pdfcookie.com	<1	Internet Data
7	ijcrt.org	<1	Publication
8	nios.ac.in	<1	Publication
9	repo.unand.ac.id	<1	Publication
10	www.studocu.com	<1	Internet Data